न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 254/2020 अपील (GCMS/2020/00275)
पंजीयन दिनांक - 14.07.2020
निर्णय दिनांक - 24.11.2020

1. श्री देवजी पिता श्री कालु जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, चित्तौड़गढ़।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्री गमेर पिता श्री भगवाना जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री भैरू पिता श्री नाना जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री गोपु पिता श्री भागचन्द्र जाट, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री हजारी पिता श्री पेमा गाडरी, निवासी मुरलिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री नरेश जणवा, दीपक - वकील अपीलार्थी
2. श्री जयप्रकाश आमेटा - वकील प्रत्यर्थी 1 से 4

प्रकरण संख्या-130/2018, में श्री गमेर बनाम श्री भैरूलाल व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.11.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या-130/2018, में श्री गमेर बनाम श्री भैरूलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान प्रकरण के प्रत्यर्थी संख्या-1 श्री गमेर जाट मय अधिवक्ता द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प पीपलवास पर उपस्थित अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी मौजा मूरलिया पटवार हल्का पिपलवास की खाता संख्या-36 में दर्ज आराजी संख्या-100 रकबा 0.32 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात वह बहैसियत

खातेदार होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है लेकिन मौके पर मेड पाली रकबे की कमी बेशी को लेकर पडौसियान के मध्य आये दिन विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और लडाई झगडा करने पर आमदा होते है, इसलिये प्रार्थी/प्रत्यर्थी-1 अपनी आराजीयात को उन्नत करने हेतु पत्थरगढ़ी करा पुख्ता पत्थर नजब करवाना चाहता है।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार निर्णय दिनांक 13.06.2018 को पारित किया कि ''**प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जैर बहस आलौच्य आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज रेकर्ड होकर उन्हें नपती कराने का स्वत्व निहीत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एलआरए स्वीकार किया जाता है तथा तहसील भदेसर को 500/- अक्षरे पांच सौ रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है की मौजा ग्राम मुरलिया प.म. पीपलवास में स्थित होकर खाता सं. 36 की नई में अंकित आराजी नम्बर 100, कुल रकबा 0.32 भूमि की नक्शा बंदोबस्ती अनुसार बिना किसी कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को अपने स्तर पर सूचित करते हुए कराई जावे तथा पत्थरगढ़ के पत्रादि न्यायालय में एक माह में प्रस्तुत करें।**''

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2018 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 14.07.2020 को प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया गया जिस पर आपत्ति/निर्णय को आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 14.07.2020 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 03.11.2020 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि आलौच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी को सुने मन मकसुद तरिके से आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलार्थी को पटवार हल्का द्वारा नोटिस दिनांक 26.05.2020 को दिया गया कि दिनांक 28.05.2020 को पत्थरगढ़ी की जावेगी और पटवारी द्वारा कहा गया कि जिस समय आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे परन्तु दिनांक 06.07.2020 को अपीलार्थी जब खेत पर गया तो देखा कि प्रत्यर्थी-1 द्वारा उसके खेत की फाटक पर पत्थर डाल कर रास्ता बन्द कर दिया, पुछने पर प्रत्यर्थी द्वारा उक्त निर्णय के बारे में बताया गया। जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील

प्रस्तुत की गई जिसमें हुई देरी क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया हैं। अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या-1 का पडौसी और उसे सुने बिना तथा अन्य पडौसियों को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह लोक अदालत की भावना के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा प्रस्तुत कथित दस्तावेजों/प्रार्थना पत्र की जांच भी नहीं की गई, न ही अपीलार्थी व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार विधिक प्रावधानों का उल्लधन कर जो निर्णय पारित किया गया उसके कानूनी एवं वाकियाती भूल की है। अन्त में अधिवक्ता अपीलार्थी अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 13.06.2018 को निरस्त करने का अनुरोध किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत अपील सर्वप्रथम मयाद बाहर प्रस्तुत की गई, जिसे क्षमा किये जाने के कारण न तो संतोषप्रद है और न ही विश्वसनीय है, ऐसे में प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधिक एवं बाद जांच पारित किया गया है। आदेश पारित किये जाने से पूर्व राजस्व अभिलेखों का अवलोकन एवं परिक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज उसके स्वामित्व के आराजी संख्या-100 रकबा 0.32 हैक्टेयर की ही पत्थरगढ़ी कराई। पत्थरगढ़ी अपीलार्थी, उसके भाई व अन्य मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 28.05.2020 को की गई, जिसके मौका पर्चा पर अपीलार्थी एवं उसके भाई श्री भैरूलाल के अगुंठा निशानी एवं हस्ताक्षर किये गये। दौराने पत्थरगढ़ी अपीलार्थी द्वारा कोई उजर/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई और तत्पश्चात् अपीलार्थी हस्तगत मयाद बाधित अपील प्रस्तुत की गई। आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के कोई हक व अधिकार प्रभावित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन कर परिशीलन किया। राजस्व अभिलेख के अवलोकन से निर्विवाद स्थिति है कि संवत् 2071 से 2074 की जमाबंदी अनुसार ग्राम पुरलिया, पटवार क्षेत्र पीपलवास, तहसील भदेसर में स्थित आराजी संख्या-100 रकबा 0.32 हैक्टेयर श्री गमेर पिता भगवान जाट के नाम दर्ज रेकर्ड है। उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत खातेदार श्री गमेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके पत्थरगढ़ी बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प पीपलवास में श्री गमेर के अधिवक्ता को सुना जाकर मौजा ग्राम मुरलिया प.म. पीपलवास में स्थित होकर खाता सं. 36 की नई में अंकित आराजी नम्बर 100, कुल रकबा 0.32 भूमि की नक्शा बंदोबस्ती अनुसार बिना किसी कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी दिये भूमि की बाद पैमूदगी पत्थरगढ़ी पक्षकारान को अपने स्तर पर सूचित

करते हुए कराई जाने का निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय की अनुपालना में सम्बन्धित, हस्तगत अपील के अपीलार्थी व उसके भाई को सम्मिलित करते हुए, को दिनांक 26.05.2020 को सूचित किया। श्री गमेर के स्वामित्व के आराजी संख्या-100 रकबा 0.32 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी दिनांक 28.05.2020 को श्री गमेर, श्री देवजी व उसके भाई श्री भैरूलाल, राजस्व अधिकारी/कार्मिकों एवं मौतबिरान की उपस्थिति में कराई गई। मौका पर्चा पत्थरगढ़ी दौरान मौके पर कोई विवाद नहीं पाये जाने का अंकन किया गया। उक्त मौका पर्चा पर पर अपीलार्थी एवं उसके भाई श्री भैरूलाल के अगुंठा निशानी एवं हस्ताक्षर किये गये। दौराने पत्थरगढ़ी अपीलार्थी द्वारा कोई उजर/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी पर विबंध के सिद्धान्त लागू होते है। साक्ष्य अधिनियम का यह नियम किसी पक्षकार को उस कथन से पीछे हटने से विरत करता है, जो उसने पूर्वतर किया था। प्रथम दृष्टया प्रकट होता है कि मौका पर्चा अनुसार की गई पत्थरगढ़ी अनुसार वर्तमान अपील के अपीलार्थी के कोई हक व अधिकार प्रभावित नही होते है। दौराने अपीलीय कार्यवाही अपीलार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थी वर्तमान अपील में प्रस्तुत तथ्यों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2018 में कोई त्रुटि नहीं पाते है एवं ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में ऐसा कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है, जिसके आधार पर अपील समय पर प्रस्तुत नहीं करने के क्या पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण रहे है। विलम्ब की देरी हेतु प्रत्येक दिन का कारण बताया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में देरी को उपशमन करने का कोई न्याय संगत आधार नहीं है। ऐसी अपील जो निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं की गई, विधि सम्मत नहीं है। इसलिए प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर